दिनांक 10.09.2016 को श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय मंत्री–सह–अध्यक्ष, 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में जिला स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, चतरा जिला की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :- पंजी में संधारित है ।

"कार्यवाही"

उपायुक्त द्वारा माननीय मंत्री-सह-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी माननीय सदस्य 20-सूत्री चतरा जिला एवं उपस्थित पदाधिकारीगण का स्वागत किया गया । उपायुक्त द्वारा 20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन के विषय वस्तु पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया एवं माननीय अध्यक्ष की अनुमति से गत बैठक की कार्यवाही को सदन के पटल पर प्रस्तुत करने के लिए उप विकास आयुक्त को निदेश दिया गया ।

उप विकास आयुक्त द्वारा गत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

<u>1. शिक्षा :-</u> माननीय सदस्य श्री रजनीकान्त सिंहा द्वारा लाये गये मामला की चतरा जिला में मुख्यालय में अवस्थित चतरा महाविद्यालय चतरा में जीव विज्ञान संकाय की पढ़ाई शुरु करने एवं +2 की शिक्षण तथा प्रत्येक प्रखण्ड के एक उच्च विद्यालय में +2 एवं प्रत्येक पंचायत में एक-एक उत्क्रमित उच्च विद्यालय स्थापित किया जाय । इस संबंध में माननीय अध्यक्ष द्वारा पुनः विभाग से स्मारित करने का निदेश दिया गया

साथ ही बताया गया कि माननीय अध्यक्ष स्वयं राज्य स्तर पर बैठक आहुत करायेंगे, इस निमित जिला शिक्षा पदाधिकारी को अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, चतरा ।)

<u>2. सामाजिक सुरक्षा :-</u> सामाजिक सुरक्षा सहायता कार्यक्रम के तहत विधवा महिला जो 18 वर्ष से अधिक की है, उन्हें विधवा पेंशन का लाभ के संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन पर चर्चा की गयी । बताया गया कि इसके लिए प्राप्त लक्ष्य 5087 के विरुद्ध 3951 लाभार्थियों को पेंशन की स्वीकृति दी गयी है । माननीय अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि यह कल्याणकारी योजना है । अर्हता रखने वाले लाभुकों की पहचान एवं पेंशन स्वीकृति के लिए माननीय सदस्यों को ध्यानाकृष्ट कराया गया । ताकि कोई भी 18 वर्ष से उपर विधवा इस लाभ से वंचित न हो ।

(अनुपालन :- आवश्यक नहीं है)

<u>4. कल्याण :-</u>कल्याण विभाग की योजनाओं के संबंध में माननीय सदस्य श्रीमती ऋषिबाला सिंह द्वारा लाये गये मामले - ईटखोरी प्रखण्ड में बिरहोर जनजाति के जर्जर आवास की स्थिति के अनुपालन पर चर्चा की गयी, बताया गया कि आवंटन की अधियाचना कल्याण विभाग से की गई है, सम्प्रति अप्राप्त है । माननीय अध्यक्ष द्वारा अधियाचना पत्र एवं अधियाचित आवासों की सुची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ।

ताकि वे राज्य स्तर से आवंटन प्राप्त करने की दिशा में पहल किया जा सके ।

(अनुपालन :- जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा ।)

5. कृषि :- जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा चतरा जिला के शत-प्रतिशत किसानों का मृदा जांच कराकर उन्हें Soil Health Card उपलब्ध कराने के संबंध में अनुपालन के क्रम में बताया गया कि 15 दिनों के अन्दर जिला में मिट्टी जांच केन्द्र प्रारंभ करा दिया जाएगा । माननीय अध्यक्ष द्वारा 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- जिला कृषि पदाधिकारी, चतरा)

12. एन.आर.ई.पी. :-विधायक मद पर चर्चा की गयी । माननीय अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि विधायक एवं मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत प्राप्त राशि के विरूद्ध व्यय का डी0सी0 विपत्र महालेखाकार, झारखण्ड रांची को भेजना सुनिश्चित किया जाय ।

(अनुपालन :- संबंधित कार्यान्वयन एजेन्सी, चतरा जिला)

14. उद्योग :- प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना के संबंध में अनुपालन पर चर्चा की गयी । महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा बताया गया कि 15 दिनों के अन्दर टास्क फोर्स कमिटि की बैठक आयोजित कराकर आवेदकों को प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना के तहत चयन कर वित पोषण कराया जाएगा ।

(अनुपालन :- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चतरा ।)

<u>15. राजस्व :-</u> गत बैठक में अवैध जमाबंदी एवं माननीय सदस्य श्री रजनीकान्त सिंहा द्वारा अमीन की अनुपलब्धता के संबंध में लाये गये मामले पर चर्चा की गयी । माननीय अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि जिनका जमाबंदी सक्षम प्राधिकार के आदेश से आयम है एवं वैध है, वैसे जमाबंदी को रद्द नहीं किया जाय । साथ ही अमीन नियुक्ति हेतु विभाग से अनुमति प्राप्त होते ही शीघ्र कार्रवाई की जाय ।

(अनुपालन :- अपर समाहर्त्ता, चतरा ।)

<u>16. खनन :-</u> उपायुक्त द्वारा जिला खनन फाउण्डेशन ट्रस्ट के नीति पर प्रकाश डाला गया । बताया गया कि जिला खनन फाउण्डेशन ट्रस्ट एवं शासी निकाय की बैठक कर ली गयी है । अगली बैठक दिनांक 15.09.2016 को निर्धारित है । जिसमें खनन से सीधे प्रभावित के साथ साथ पूरे टण्डवा अंचल को बुनियादी सुविधाएँ यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत आदि उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा एवं सिमरिया अंचल को ODF के लिए IHHL मुहैया कराये जाने पर भी विचार किया जाएगा ।

(अनुपालन :- जिला खनन पदाधिकारी, चतरा ।)

<u>18. श्रम :-</u> विगत बैठक में श्रमाधीक्षक अनुपस्थित थे, इस सन्दर्भ में माननीय अध्यक्ष द्वारा स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया था । सदन को बताया गया कि गत बैठक में अनुपस्थिति श्रमाधीक्षक का

स्थानान्तरण हो चुका है । नवपदस्थापित श्रमाधीक्षक भी अनुपस्थित है । माननीय अध्यक्ष द्वारा इनसे स्पष्टीकरण मांग करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चतरा)

<u>19. मनरेगा/इन्दिरा आवास/एन.आर.एल.एम. :-</u> डोभा निर्माण योजना में अद्यतन भुगतान का मामला लाया गया । चर्चा उपरांत माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्मित सभी मनरेगा डोभा का अद्यतन भुगतान करने का निदेश दिया गया ।

<u>21. वन विभाग :-</u> गत बैठक में लाये गये मामले के अनुपालन पर चर्चा की गयी । चर्चा उपरांत माननीय अध्यक्ष द्वारा वन विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की सूची सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराने का निदेश वन प्रमण्डल पदाधिकारी को दिया गया ।

<u>23. जिला परिषद :-</u> पंचायत भवनों से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन पर चर्चा की गयी । जिला अभियंता, जिला परिषद द्वारा बताया गया कि जिले के 154 पंचायतों के अन्तर्गत 125 पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं इस माह में 04 पंचायत भवन पूर्ण हो जायेंगे । माननीय अध्यक्ष द्वारा सभी पंचायत भवनों को हैण्ड ओभर करने एवं पंचायत सचिवालय को मुर्त रूप देते हुए सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- जिला अभियंता, जिला परिषद, चतरा ।)

24. स्वास्थ्य :- माननीय सदस्यों द्वारा सदर अस्पताल चतरा में महिला चिकित्सकों के पदस्थापन के लिए माननीय अध्यक्ष को ध्यान आकृष्ट कराया गया । उपाधीक्षक, सदर अस्पताल ने बताया गया कि सिमरिया एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र, जोरी में महिला चिकित्सक का पदस्थापन है । जब तक सदर अस्पताल में महिला चिकित्सक की पदस्थापन नहीं होती है, तब तक सिमरिया या जोरी से प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया गया ।

(अनुपालन :- आवश्यक नहीं है)

उपरोक्त कंडिकाओं को छोड़कर गत् बैठक की कार्यवाही सम्पुष्ट किया गया ।

"आज की कार्यवाही"

1. श्री रजनीकान्त सिन्हा, माननीय सदस्य द्वारा भूमि संरक्षण विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के प्राक्कलन में लीड के प्रावधान के अनुरूप कार्य नहीं होने एवं योजनाओं में सूचना पट्ट नहीं लगाने का मामला लाया गया ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा योजनाओं के प्राक्कलन में किये गये प्रावधान एवं मापी में दर्ज किये गये कार्य से संबंधित प्रतिवेदन एवं सभी योजनाओं में सूचना पट्ट लगाने का निदेश भूमि संरक्षण पदाधिकारी को दिया गया ।

2. श्रीमती ऋषिबाला, माननीय सदस्य (महिला) द्वारा ईटखोरी प्रखण्ड में जन वितरण दूकानदारों के लिए बायो-मेट्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों से 500/- रूपये की वसूली प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा करने का मामला लाया गया ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा इसकी जांच एवं प्रतिवेदन हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया ।

(अनुपालन :- अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी)

3. डोमन राणा, माननीय सदस्य द्वारा मामला लाया गया कि ईटखोरी प्रखण्ड के सुरेश सिंह, ग्राम बभनडीहा एवं गौतम सिंह, ग्राम जगरी को बिना बिजली कनेक्शन के बिजली विपत्र भेजा जा रहा है ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा गंभीरता से लेते हुए आगामी बैठक के पूर्व त्रुटिमार्जन करते हुए निष्पादन करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल को दिया गया ।

4. श्री लाडला खान, माननीय सदस्य द्वारा मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत गोढ़ाई में मिट्टी मोरम योजना में बिना काम का राशि निकासी का मामला लाया गया ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा मामले की जांच करने का निदेश वरीय पदाधिकारी, चतरा प्रखण्ड को दिया गया ।

(अनुपालन :- वरीय पदा0, चतरा प्रखण्ड)

5. श्री सुबेदार पासवान, माननीय सदस्य द्वारा बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन बैठक के एक सप्ताह को माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा इसे सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- डी0आर0डी0ए0)

20—सूत्री कार्यक्रम कियान्वयन

1. गरीबी हटाओ :-

मनरेगा/एन0आर0एल0एम0/NULM के तहत मजदूरों को मजदूरी देने एवं महिला स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण देने एवं स्वरोजगार बनाने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चतरा जिला)

2. जन शक्ति :-

जिला योजना समिति एवं उप समिति के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन जनप्रतिनिधियों के निगरानी एवं अनुश्रवण सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- सचिव, जिला परिषद, चतरा/ जिला पंचायतीराज पदाधिकारी)

3. किसान मित्र :-

कृषि के लिए सिंचाई की सुविधाएं, पैक्स के माध्यम से कृषि ऋण एवं उन्नत तकनीक SRI विधि के माध्यम से कृषि कार्य सुनिश्चित करें ।

(अनुपालन :- जिला कृषि पदाधिकारी/
प्रोजेक्ट मैनेजर-सह-जिला भूमि संरक्षण पदा0, IWMP, WCDC
एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी)

4. श्रमिक कल्याण :-

कृषि एवं असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना । बाल श्रमिक निवारण एवं न्यूनतम मजदूरी का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- जि0स0क0पदा0/स0नि0,सा0सु0को0/
श्रमाधीक्षक/जि0बा0सं0पदा0)

5. खाद्य सुरक्षा :-

लक्षित जन वितरण प्रणाली के माध्यम से PH/AAY के लाभुकों को खाद्यान्न प्रत्येक माह उपलब्ध कराने के साथ साथ खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत आच्छादित करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- अनुमण्डल पदाधिकारी/जि0आ0पदा0)

6. सबके लिए आवास :-

इन्दिरा आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण/शहरी) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों को आवास उपलब्ध कराने पर चर्चा की गयी । कार्यपालक पदाधिकारी, नगर

पर्षद द्वारा बताया गया कि वितीय वर्ष 2015-16 के लिए 193 एवं 2016-17 के 308 आवासों के लिए आवंटन प्राप्त हुआ है । लाभुकों का चयन कर लिया गया है । माननीय सदस्यों द्वारा लाभुकों का चयन पर आपति जतायी गयी । चर्चा उपरांत माननीय अध्यक्ष द्वारा चयनित लाभुकों की सूची का जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया :-

1. माननीय विधायक, चतरा विधान सभा
2. उप विकास आयुक्त, चतरा ।
3. उपाध्यक्ष, जिला 20-सूत्री समिति ।
4. श्री लाडला खान, माननीय सदस्य जिला 20-सूत्री समिति (अल्पसंख्यक) ।

(अनुपालन :- कार्य0पदा0,नगर पर्षद एवं सभी प्र.वि.पदा. तथा गठित समिति)

7. शुद्ध पेयजल :-

ग्रामीण जलापूर्ति एवं शहरी जलापूर्ति के तहत सभी नागरिकों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- कार्य0अभि0, पी0एच0ई0डी0)

8. जन धन का स्वास्थ्य :-

गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राज्य बीमारी योजना के तहत लाभुकों को लाभान्वित करने हेतु सप्ताह में दो दिन बैठक करने का निदेश दिया गया ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि गंभीर/असाध्य रोगों की संख्या 85 है । इसे बढ़ाकर 120 करने की सरकार की योजना है, ताकि अधिक से अधिक बीमारियों से ग्रसित गरीबी को योजना से लाभान्वित कराया जा सके । इसकी प्रचार-प्रसार हेतु बीमारी का नाम सभी प्रखण्ड मुख्यालय, जिला मुख्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र/सामुदायिक स्वा0केन्द्र/अस्पताल एवं अन्य सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करने का निदेश दिया गया ।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत IHHL शौचालय का निर्माण कर ODF करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- सिविल सर्जन/कार्य0अभि0, पी0एच0ई0डी0)

9. सबके लिए शिक्षा :-

सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी को शिक्षा एवं मध्याहन भोजन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- जिला शिक्षा अधीक्षक)

10. अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण :-

इन वर्गों को भूमि, शिक्षा एवं रोजगार के साथ साथ आरक्षण के तहत लाभ मुहैया कराने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- जि0क0पदा0, चतरा)

11. महिला कल्याण :-

महिला कल्याण के लिए वित्तीय सहायता पंचायतों/नगरपालिकाओं/राज्य विधान मंडलों एवं संसद में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- निदेशक, डी0आर0डी0ए0/उप निर्वाचन पदा0)

12. बाल कल्याण :-

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा द्वारा समेकित बाल विकास कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित योजनाओं को प्रस्तुत किया गया । माननीय अध्यक्ष द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए पोषण सखी चयन को पारदर्शिता पूर्ण करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- जिला समाज कल्याण पदा0)

13. युवा विकास :-

माननीय अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि युवा विकास के तहत कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण पंचायत सचिवालय के लिए स्वयं सेवक एवं कमल क्लब का चयन किया जा रहा है । माननीय अध्यक्ष द्वारा लक्ष्य के अनुरूप चयन करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- डी0आर0डी0ए0/जिला योजना पदा0)

14. बस्ती सुधार :-

इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु सुगोचर स्थलों पर चार्टर अर्थात भूमि पट्टा, साफ सफाई, सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत कार्यक्रम का अंकन हो ।

(अनुपालन :- जिला जनसम्पर्क पदा0)

15. पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्धि :-

इसके तहत वनरोपण, नदियों एवं जलाशयों के प्रदूषण की रोकथाम Solid and liquid waste Management ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- वन प्रमण्डल पदा0, उतरी एवं दक्षिणी)

16. सामाजिक सुरक्षा :-

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत विकलांग एवं अनाथों को पुर्नवास एवं वृद्धों के कल्याण हेतु वृद्धापेंशन योजना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- जि0स0क0पदा0/स0नि0,सा0सु0को0)

17. ग्रामीण पथ :-

सभी गांवों को पंचायत मुख्यालय से एवं सभी पंचायत मुख्यालय को प्रखण्ड मुख्यालय से एवं बारहमासी सड़कों को कालीकरण पथ करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- कार्य0अभि0, आर.ई.ओ.)

18. ग्रामीण उर्जा :-

माननीय अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि सभी जले हुए ट्रान्सफार्मर को हर-हाल में बदलना सुनिश्चित किया जाय । वर्ष 2018 तक सभी ग्रामों को निश्चित रूप से विद्युतीकरण करना है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत बिजली कनेक्टिविटी तथा सौर उर्जा से बिजली व्यवस्था करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- कार्य0अभि0, डी.भी.सी.)

<u>19. पिछडा क्षेत्र विकास :-</u>

सम्प्रति पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि बंद कर दिया गया है । माननीय अध्यक्ष द्वारा 14वें वित आयोग मद में प्राप्त राशि से पंचायत क्षेत्र में विकास करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- सभी प्र.वि.पदा., चतरा जिला)

20. ई-शासन :-

सेवा का अधिकार के दायरे में आने वाले सेवाओं का निर्धारित अवधि में निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- सभी संबंधित जिला स्तरीय पदा0)

माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की बैठक की समाप्ति संबोधन में सभी माननीय सदस्यों एवं जिला स्तरीय पदाधिकारीगण से विकास में सहयोग करने एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को गरीबों तक या समाज के अंतिम कड़ी तक उतारने का अनुरोध किया गया, ताकि समृद्ध एवं सशक्त समाज, राज्य एवं देश का निर्माण हो ।

अंत में माननीय अध्यक्ष की अनुमति से उपायुक्त द्वारा बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

ह0/-
उप विकास आयुक्त
चतरा ।

ह0/-
उपायुक्त
चतरा ।

ह0/-
(श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी)
माननीय मंत्री-सह-अध्यक्ष
जिला 20 सूत्री कार्यक्रम
कार्यान्वयन समिति, चतरा ।

ज्ञापांक....960..../जि.ग्रा.   दिनांक..26/09/16

प्रतिलिपि :- सभी माननीय सदस्य, जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, चतरा को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :-सभी पदाधिकारीगण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित । निदेश है कि अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 27.09.2016 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

उपायुक्त
चतरा ।

ज्ञापांक....960..../जि.ग्रा.   दिनांक..26/9/16

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, सांख्यिक वित कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित किया जाय ।

उपायुक्त
चतरा ।

ज्ञापांक...960.../जि.ग्रा.   दिनांक.....26/9/16

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आइ0सी0, चतरा को सूचनार्थ प्रेषित । निदेश है कि जिले के वेबसाईट www.chatra.nic.in पर हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए ।

उपायुक्त
चतरा ।